आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

17/7/23

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर० वाद सं०-464/2013-14

मंगरू पाहन, पिता स्व. रामु पाहन,
निवास स्थान–सरना टोली, कडरू,
थाना–अरगोडा, जिला राँची। ...› प्रथम पक्ष

बनाम

मेघनाथ सिंह मुण्डा, पिता भैयाराम मुण्डा,
निवास स्थान–निवारणपुर, थाना–चुटिया,
जिला राँची। ... द्वितीय पक्ष

आदेश

प्रथप पक्ष मगरू पाहन, पिता स्व. रामु पाहन, निवास स्थान–सरना टोली, कडरू, थाना–अरगोडा, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष मेघनाथ सिंह मुण्डा, पिता भैयाराम मुण्डा, निवास स्थान–निवारणपुर, थाना–चुटिया, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हडपकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
कडरू	208	193	738	38½ डी.

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान बकाश्त भुइहरी नाम लगान पाने वाला में वरना पाहन के नाम दर्ज है।

प्रथम पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्ष ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्ष को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत

17/7/23

कृ०पृ०उल्टे

करने हेतु उभय पक्षो को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की माँग की गई।

प्रथम पक्ष ने शपथ पत्र के माध्यम से अपने ब्यान मे कहा है कि उपरोक्त भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान बकाशत भुईहरी पहनई नाम लगान पाने वाला मे बरना पाहन के नाम दर्ज है। खेवटदार बरना पाहन अपने पीछे (1) स्व. रामकिष्टो पाहन (2) स्व. हरिया पाहन (3) स्व. रामु पाहन को छोड गये। स्व. रामकिष्टो पाहन अपने पीछे विश्वनाथ पाहन को छोड गये। स्व. हरिया पाहन अपने पीछे (1) स्व. करमा पाहन (2) स्व. धरमु पाहन को छोड गये। रामु पाहन अपने पीछे (1) स्व. रबिन्द मुण्डा (2) मंगरू पाहन (आवेदक) को छोड गये है। द्वितीय पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। गलत तथ्य दिखाकर विक्रय पत्र बनाकर दखलकार बने हुए है। भूमि परती है, भू-वापसी करते हुए आवेदक के पक्ष में निर्णय दिया जाय।

द्वितीय पक्षगण ने अपने लिखित ब्यान में कहा है कि विवादित भूमि मौजा कडरू, थाना सं.-208, खाता सं.-193, प्लॉट नं.-738, कुल रकवा-77 डीसमिल भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान बरना पाहन पिता करमा पाहन के नाम बकाशत भुईहरी पहनई दर्ज है। बरना पाहन अपने पीछे चार पुत्रो (1) स्व. रामकिष्टो पाहन (2) रघु पाहन (3) हरिया पाहन (3) रामु पाहन हुए। रामकिष्टो पाहन अपने पीछे विश्वनाथ पाहन को छोड गये। रघु पाहन निःसंतान मर गये। हरिया पाहन अपने पीछे (1) स्व. करमा पाहन (2) स्व. धरमु पाहन को छोड गये है, और रामु पाहन अपने पीछे मंगरू पाहन को छोड गये। विश्वनाथ पाहन वो हरिया पाहन वो नाबालिग मंगरू पाहन ने विविध वाद सं.-365RII/87-88 में श्री विश्वनाथ पाहन एवं अन्य बनाम बिहार सरकार अनुमति वाद दाखिल किया। दिनांक-28.07.1988 तथा तालिक पर दस्तखत श्रीमान सब डिविजनल ऑफिसर राँची दिनांक-04.08.1988 को आदेश प्राप्त होने के उपरान्त दिनाक-16.05.1989 ई. को द्वितीय पक्ष के नाम से निबंधित पट्टा सं.-5358 दिनांक-16.05.89 को बिक्री निष्पादित हुआ। विश्वनाथ पाहन के सिरिस्ता से नामान्तरण कराकर अपने नाम से खास रसीद कटाते आ रहें है। द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर अपना मकान बना

17/7/23

क्र०पृ०उलटे

कर सपरिवार केसाथ रहते चले आ रहें है। समस्त भूमि को चारो ओर से पक्का चहारदिवारी बनाकर घेर दिये है और पेड़–पौधे लगाये हुए है। यह वाद कालबाधित है, चूंकि भूमि का हस्तांतरण 1989 ई॰ मे हुआ है। आवेदक भी अन्य विक्रेताओं के साथ विक्रेतागण में शामिल है। उभय पक्ष अनु॰जनजाति के सदस्य के अन्तर्गत आते है। सी.एन.टी.एक्ट की धारा–48 उपधारा–5 मे निम्न प्रावधान है–"A member of a Bhunhari family who hold land in any village in which a bhuihari tenure a defend in Chotanagpur Tenure Act 1869 (Ben Act 2of 1869) is situated may transfer such land in the same manner and to the same extent as an accompany raiyat transfers his right is his holding under sub Sec-3 of section 46 and sub section-4 of this section of this section shall apply to such land in the same way as it applies to a "Bhuinhari Tenure." उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में सी॰एन॰टी॰ एक्ट के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः यह वाद खारिज करने योग्य है।

अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्षों के बहस सुनने के पश्चात इस वाद को आदेश पर रखा गया। उभय पक्ष के अभिलेख में संलग्न कागजातो के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान में बरना पाहन पिता करमा पाहन के नाम बकाशत भुईहरी पहनई के नाम से दर्ज है। उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। द्वितीय पक्ष वर्णित भूमि को विविध वाद सं॰–365RU/87-88 धारा–48 के तहत सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्तकर विक्रय पत्र के माध्यम से प्राप्त किया है।

ऐसी परिस्थिति मे आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 15:37:36 +05:30
Location: 192.168.51.130